WWJMRD2018; 4(12):310-314
www.wwjmrd.com
International Journal
Peer Reviewed Journal
Refereed Journal
Indexed Journal
UGC Approved Journal
Impact Factor MJIF: 4.25
e-ISSN: 2454-6615

डॉ. साक्षी मेहता
सहायक आचार्यए राजनीति विज्ञान विभागए अपेक्स विष्वविद्यालय जयपुरए भारत

भारत में महिला सषक्तिकरण एक विष्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. साक्षी मेहता

प्रस्तावना –

महिला – "वो शक्ति है, सषक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में, न कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है।"

" चाहे खेल हो या अंतरिक्ष विज्ञान, हमारे देष की महिलाऐं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वे कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ रही हैं और अपनी उपलब्धियों से देष का नाम रोषन कर रही हैं।"

मानवता की प्रगति महिलाओं के सषक्तिकरण के बिना अधूरी है। आज मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं, बल्कि महिलाओं के ..... वाले विकास का है।" पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा कहा गया मषहूर वाक्य "लोगों को जगाने के लिये", महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है, परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है। और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। आज के समय में महिला सषक्तिकरण एक चर्चा का विषय है, खासतौर से पिछड़े और प्रगतिषील देषों में क्योंकि उन्हें इस बात का काफी बाद में ज्ञान हुआ कि बिना महिलाओं की तरक्की और सषक्तिकरण के देष की तरक्की संभव नहीं है। भारतीय समाज शुरू से ही पुरूष प्रधान रहा है। यहॉ महिलाओं को हमेषा से दूसरे दर्जे का माना जाता है। पहले महिलाओं के पास अपने मन से कुछ करने की सख्त मनाही थी। परिवार और समाज के लिए वे एक आश्रित से ज्यादा कुछ नहीं समझी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि उसे हर कदम पर पुरूष के सहारे की जरूरत पड़ेगी ही।

खोजशब्द – महिला सषक्तिकरण, भारत की नारी, मानवता की प्रगति, राजनीति विज्ञान

महिला सषक्तिकरण

महिला सषक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिये कि हम 'सषक्तिकरण' से क्या समझते है। 'सषक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सषक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे है जहॉ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो।

महान विचारक एवं सभी पिछड़ों के (जिसमें भारतीय महिलाएं भी आती थी) उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत को आजादी मिलने से 20 वर्ष पहले ही कहा था –

Correspondence:
डॉ. साक्षी मेहता
सहायक आचार्यए राजनीति विज्ञान विभागए अपेक्स विष्वविद्यालय जयपुरए भारत

ट उमेंनतम जीम चतवहतमे व िंबवउउनदपजल इल जीम कमहतमम व िचतवहतमे ीपबी वउमद ींअम ंबीपमअमकण

महिला सषक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविष्वास पैदा कर उन्हें सषक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिला सषक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएॅ शक्तिषाली बनती है जिससे वह अपने जीवन से जुडे हर फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सषक्तिकरण है। इसमें ऐसी ताकत है कि वह समाज और देष में बहुत कुछ बदल सके। वह समाज में किसी समस्या को पुरूषों से बेहतर ढंग से निपट सकती है।

स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है अर्थात् स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित–परिष्कृति कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, विष्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सु–अवसर प्रदान करना ही नारी सषक्तिकरण का आषय है।

दूसरे शब्दों में – महिला सषक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। ताकि उन्हें रोजगार, षिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है, जिसके द्वारा महिलाएॅ भी पुरूषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सके।

आसान शब्दों में महिला सषक्तिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे वों अपने जीवन से जुडे हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सषक्तिकरण है।

भारत में महिला सषक्तिकरण की आवष्यकता –

भारत में महिला सषक्तिकरण की आवष्यकता के बहुत से कारण सामने आते है। प्राचीन काल के अपेक्षा मध्य काल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आयी। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा था।

(प) आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएँ कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रषासनिक पदों पर पदस्थ है, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएँ आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य है और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और षिक्षा जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं है। अगर किसी कारण महिला राजनीतिक पद पर निर्वाचित हो भी जाती है तो उसे पद संबंध शक्ति का प्रयोग हम के पारिवारिक सदस्यों द्वारा किया जाता है।

(पप) षिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएँ पुरूषों की अपेक्षा काफी पीछे है। भारत में पुरूषों की षिक्षा दर 82.14 प्रतिषत है, जबकि महिलाओं की षिक्षा दर मात्र 65.64 प्रतिषत ही है।

(पपप) भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अपेक्षा रोजगारषील है, आकडों के अनुसार भारत के शहरों में साफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30 प्रतिषत महिलाएँ कार्य करती है, वही ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 फीसदी महिलाएँ मुख्यतः कृषि और इससे जुडे क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती है।

(पअ) भारत में महिला सषक्तिकरण की आवष्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। एक अध्ययन में सामने आया है कि समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत में महिलाओं को पुरूषों के अपेक्षा 20 प्रतिषत कम भुगतान दिया जाता है।

(अ) हमारा देष काफी तेजी और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते है, जब हम लैंगिक असमानता को दूर कर पाए और महिलाओं के लिए भी पुरूषों की तरह समान षिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिष्चित कर सके।

(अप) भारत की लगभग 50 प्रतिषत आबादी केवल महिलाओं की है मतलब, पूरे देष के विकास के लिए इस आधी आबादी की जरूरत है जो कि अभी भी सषक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देष विकसित हो पायेगा।

(अपप) महिला सषक्तिकरण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरूष प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया

ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देषों में भी दिखाई पड़ता है।

(अपपप) भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिये माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिला देवियों को पूजने की परम्परा है लेकिन आज केवल यह एक ढोंग मात्र रह गया है।

(पग) पुरूष पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक, राजनीतिक अधिकार (काम करने की आजादी, षिक्षा का अधिकार आदि) को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया।

(ग) पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिये सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए है। हालाँकि ऐसे बड़े विषय को सुलझाने के लिये महिलाओं सहित सभी के लगातार सहयोग की जरूरत है।

(गप) आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर ज्यादा जागरूक है जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्वयंसेवी समूह और एनजीओ आदि इस दिषा में कार्य कर रहे है।

महिलाओं के संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान –

संविधान के अनुच्छेद–14 के तहत विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

संविधान के अनुच्छेद–15 (3) के अंतर्गत महिलाओं को सषक्त करने के उद्देष्य से राज्य सकारात्मक कदम (।ििपतउंजपअम डमेंनतम) उठा सकता है। लिंग विषिष्ट कानूनों (ळमदकमत ैचमबपपिब स्ूं) की उत्पत्ति का स्रोत संविधान का वही अनुच्छेद है।

संविधान के अनुच्छेद–21, प्रत्येक नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसी के तहत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सम्मिलित है।

संविधान के अनुच्छेद–23–24 द्वारा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले शोषण को नारी गरिमा के लिए उचित नहीं मानते हुए महिलाओं की खरीद–बिक्री, वेष्यावृत्ति के लिए जबरदस्ती करना, भीख मंगवाना आदि को दण्डनीय माना गया है। इसके लिए सन् 1956 में 'सेप्रेषन ऑफ इमोरस ट्राफिक इन विमेन एण्ड गर्ल्स एक्ट' भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके।

संविधान के अनुच्छेद–39 में महिलाओं एवं पुरूषों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद–42 के तहत काम की उचित दषा एवं प्रसूति सहायता (डंजमतदपजल त्मसपमि) का प्रावधान किया गया है।

संविधान का अनुच्छेद–46 इस बात का आह्वान करता है कि राज्य दुर्बल वर्गो के षिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विषेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सब प्रकार के शोषण से संरक्षा करेगा।

संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद–51 (क) (ड.) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति की गौरवषाली परम्परा के महत्व को समझे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो कि स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो।

संविधान के अनुच्छेद–243 (द) (3) में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गये स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किये जायेंगे।

संविधान के अनुच्छेद–325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरूष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 325 द्वारा संविधान निर्माताओं ने यह दर्षाने की कोषिष की है कि भारत में पुरूष और स्त्री को समान मतदान अधिकार दिये गये है।

महिला सषक्तिकरण के लिए बनाई गई योजनाएँ निम्न है –

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम :

(प) बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और षिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देष्य से 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी।

(पप) इस कार्यक्रम का उद्देष्य लड़कियों के गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

(पपप) इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने के साथ–साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, षिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिष्चित करना है।

2. किषोरियों के सषक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) :

(प) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम की शुरूआत 1 अप्रैल, 2011 को की गई थी।

(पप) इस कार्यक्रम को 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' की देख–रेख में चलाया जा रहा है।

(पपप) इस कार्यक्रम के तहत भारत के 200 जिलों से चयनित 11–18 आयु वर्ग की किषोरियों की देखभाल 'समेकित बाल विकास परियोजना' के अंतर्गत की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को 11–15 और 15–18 साल के दो समूहों में विभाजित किया गया है।

(पअ) इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभों को दो समूहों में विभाजित किया गया है : (). पोषण (11–15 वर्ष तक की लड़कियों को पका हुआ खाना दिया जाता है) (इ). गैर पोषण (15–18 वर्ष तक की लड़कियों को आयरन की गोलियां सहित अन्य दवाईयॉ मिलती है)।

3. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना :

(प) यह मातृत्व लाभ कार्यक्रम 28 अक्टूबर, 2010 को शुरू किया गया था।

(पप) इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देष्य 19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(पपप) इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा नवजात षिषु और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल के लिए दो किस्तों में 6000/– रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(पअ) यह कार्यक्रम 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' द्वारा चलाया जा रहा है।

4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना :

(प) इस योजना का शुभारम्भ 2004 में किया गया था।

(पप) यह योजना वर्ष 2004 से उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम हो।

(पपप) इस योजना में केन्द्र व राज्य सरकारें क्रमषः 75 प्रतिषत और 25 प्रतिषत खर्च का योजना करेंगे।

(पअ) इस योजना का मुख्य लक्ष्य 75 प्रतिषत अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं तथा 25 प्रतिषत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चियों का दाखिला कराना है।

(अ) योजना में मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर है तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है।

5. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :

(प) इस योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी द्वारा 1 मई, 2016 को की गई थी।

(पप) इस योजना के अन्तर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्षन मिलेंगे।

(पपप) योजना का मुख्य उद्देष्य महिला सषक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना है।

(पअ) इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले जीवष्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना चाहती है।

6. स्वाधार घर योजना :

(प) इस योजना को 2001–02 में शुरू किया गया था।

(पप) इस योजना को 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' के माध्यम से चलाया जा रहा है।

(पपप) इस योजना का उद्देष्य वेष्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, रिहा कैदी, विधवाओं, तस्करी से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं, मानसिक रूप से विकलांग और बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करना है।

(पअ) इस योजना के अन्तर्गत विधवा महिलाओं के भोजन और आश्रय, तलाकषुदा महिलाओं को कानूनी परामर्ष, चिकित्सा सुविधाओं और महिलाओं को व्यावसायिक प्रषिक्षण जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

(अ) इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए शारीरिक और मानसिक मजबूती प्रदान की जाती है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

7. महिलाओं के लिए प्रषिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (ज्म्च्) :

(प) इस योजना की शुरूआत 1986–87 में एक केन्द्रीय योजना के रूप में की गई थी।

(पप) इस योजना को 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' के माध्यम से चलाया जा रहा है।

(पपप) योजना का मुख्य उद्देष्य महिलाओं का कौषल विकास कराकर उनको इस लायक बनाना है कि वे स्व–रोजगार या उद्यमी बनने का हुनर प्राप्त कर सकें।

(पअ) इस योजना का मुख्य लक्ष्य 16 वर्ष या उससे अधिक की लड़कियों/महिलाओं का कौषल विकास करना है।

(अ) इस योजना के तहत अनुदान सीधे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेषों को न देकर संस्था/संगठन यहॉ तक कि गैर सरकारी संगठन को सीधे ही पहुँचाया जाता है।

8. वन स्टॉप सेन्टर स्कीम :

यह योजना 1 अप्रैल, 2015 को 'निर्भया फण्ड' के साथ लागू की गई थी। यह योजना भारत के विभिन्न शहरों के अलग–अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत यह योजना उन महिलाओं को शरण देती है जो किसी प्रकार की हिंसा का षिकार होती है। इसके तहत पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा और परामर्ष सेवाएं देने का काम किया जाता है।

9. महिला हेल्पलाईन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को 24 घण्टे इमरजेन्सी सहायता सेवा प्रदान की जाती है, महिलाएँ अपने विरूद्ध होने वाली किसी तरह की भी हिंसा या अपराध की षिकायत इस योजना के तहत निर्धारित नम्बर पर कर सकती है। इस योजना के तहत पूरे देष भर में 181 नम्बर को डायल करके महिलाएँ अपनी षिकायत दर्ज करवा सकती है।

10. उज्ज्वला योजना :

यह योजना महिलाओं को तस्करी और यौन शोषण से बचाने के लिए शुरू की गई है। इसके साथ ही इसके अन्तर्गत उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए भी कार्य किया जाता है।

निष्कर्ष –

हम खुद को आधुनिक कहने लगे है, लेकिन सच यह है कि मॉर्डनाइजेषन सिर्फ हमारे पहनावे में आया है लेकिन विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। आज महिलाएँ एक कुषल गृहिणी से लेकर एक सफल व्यावसायी की भूमिका बेहतर तरीके से निभा रही है। नई पीढ़ी की महिलाएँ तो स्वयं को पुरूषों से बेहतर साबित करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। समाज की वर्तमान दुर्दषा से निकलने के लिए नारी और पुरूष दोनों को ही अपनी–अपनी सीमाओं का रेखांकन करना होगा तभी हम स्वस्थ समाज की संरचना कर पाएंगे।

राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे है। महिलाओं को कई क्षेत्रों में विकास की जरूरत है।

भारत में महिलाओं को सषक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे– दहेज प्रथा, अषिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वैष्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय।

अपने देष में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। जहाँ महिलाएँ अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है। भारत में अनपढ़ों की संख्या में महिलाएँ सबसे अव्वल है।

नारी सषक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आयेगा जब भारत में उन्हें अच्छी षिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सकें।

संदर्भ सूची –

1. प्रतियोगिता दर्पण विषेषांक मई 2016 पृष्ठ संख्या 45
2. परीक्षा मंथन अप्रैल 2014 पृष्ठ संख्या 90
3. योजना मासिक पत्रिका नवम्बर 2017
4. कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका जून 2015
5. दैनिक भास्कर संपादकीय पृष्ठ
6. संडे जैकेट राजस्थान पत्रिका
7. ूणैवकीहंदहं